



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून



Office of the Executive Engineer, Ty.Div., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand  
Phone/ Fax:- 01360-276595

E-mail: eeprdsahiyakalsi@gmail.com

Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1672/66  
सेवा में,

दिनांक 9-9-19

प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
चकराता।

विषय:- मा० मुख्य मंत्री घोषणा सं०- 788/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में ग्राम लक्स्यार से (समरजेन्स रोड) से मुदाणी छानी लुधेरा मो० मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.300 किमी०

सन्दर्भ:- EDS दिनांक 22.12.2018  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में प्रस्ताव में पाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत किया गया है।

क्र० सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	As per the muck plan muck is to Be disposed at at napland but the such component is shown in part-I at B-2.4 where land requirement for muck is shown as 0 please rectify.	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संरेखण में पड़ने वाली लिखित स्पष्ट वन पंचायत, नापभूमि एवं नापभूमि (नक डिस्पोजल) को अलग-अलग part-I at B-2.4 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	CA details at section L (ii) has been wrongly filled in Form A, part 1.	CA details at section L (ii) Has been corrected in Form Part-I
3	Some other documents has been uploadded in the place of non encumbrance at section L (iv-h) in Form A, part 1.	Non encumbrance certificate uploaded at Right Place in section L (iv-h) in Form A, part -I.
4	NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in Form A, part II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco class at para-4 (i) in Form A, part II.	आपत्ति का निस्तारण Form A, part-II में correction D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।
5	The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate sheet according to filled details in B-2.3 village wise breakup.	मार्ग संरेखण मुख्त. दो ग्राम पंचायतों लखस्यार एवं खाडी के नौवों में होकर गुजरता है। जिसमें एक ही दिन दोनों ग्राम पंचायतों की नोटिफ हाई थी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	Tree list in 9 m width along with land schedule has not been uploaded as additional information in para 13 form A, part II. Pelase rectify.	मार्ग का निर्माण हेतु 7.0 मी० चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाना है इसलिये तत्समय वन विभाग द्वारा 7.00 मी० चौड़ाई में ही प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची तैयार की है जो कि प्रस्ताव में संलग्न है। तथा Form A, part-II में D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।
7	CA scheme CA site suitability certificate is not uploaded in para-13 form A, part II.	CA site suitability certificate is uploaded in section L (ii) Form A, part 1. and CA scheme is uploaded in additional information details and Form A, part-II में correction D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक प्रपत्रों को निर्देशानुसार Additional information details के अन्तर्गत कर दिया गया है। अतः प्रस्ताव आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-1. प्रारूप-30.4

2. प्रपत्र-16

3. बार-चार्ट

4. भू-स्वामी अनापत्ति प्रमाण पत्र

भवदीय

19-9-19  
(डी०पी०सि०)

अधिशासी अभियन्ता

अ०स०, लो०नि०वि०,

सहिया

पत्रांक 1672/66

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता (प्रथम)/खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 9-9-19

अधिशासी अभियन्ता

अ०स०, लो०नि०वि०,

सहिया